माधोसिंह बनाम भूमि (राज्य सरकार)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज प्र.सं. 136 CR अपील-78/2019
	जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रार्थीगण की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 06.02.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
06.02.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 06/02/23 (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
78 / 2019	2019 / 299	08.11.2019	06.02.2023

उनवान प्रकरण

1. मालसिंह उम्र 41 साल
2. कल्याणसिंह उम्र 36 साल

पुत्रगण स्वर्गीय भूरा जाति दरोगा निवासी देवीपुरा–हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थित:–

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 प्रार्थीगण अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी इस आशय से प्रस्तुत किया कि पुराने कृषि भूमि खसरा नम्बर 549 क्षेत्रफल .10 बीघा है जो मौजा देवीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जिला सीकर राज0 की खातेदारी जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में प्रार्थीगण के पिता स्वर्गीय भूरा पुत्र सुन्ना दरोगा के नाम भू-अभिलेख में दर्ज हैं। जिसके नवीन खसरा नम्बर 211 क्षैत्रफल 1.36 है0, 212 क्षैत्रफल 0.36 है0, 213 क्षैत्रफल 0.02 है0, 231 क्षैत्रफल 0.04 कुल किता-4 कुल रकबा 1.78 है0 खातेदारी में दर्ज किये गये हैं। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 549 का क्षैत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा था परन्तु नवीन खसरा नम्बर 211, 212, 213, 231 का कुल क्षैत्रफल राजस्व कर्मचारियों व सैटिलमेन्ट अधिकारियों की गफलत व लापरवाही से कम करते हुये 1.78 है0 ही दर्ज कर दिया गया है। जबकि पुराने ख0न0 549 के क्षैत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार नवीन ख0 न0 211, 212, 213, 231 का कुल क्षैत्रफल 2.7280 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था। उक्त त्रुटि राजस्व कर्मचारियों व सैटिलमेन्ट अधिकारियों की गफलत व लापरवाही के कारण की गयी है। जो अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत दुरूस्तनीय है। प्रार्थीगण ने उक्त दुरूस्ती बाबत पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से निवेदन किया तो अदालत में प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत आदेश लाने हेतु कहा। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि ख0न0 211, 212, 213, 231 का क्षैत्रफल पुराने ख0न0 549 के क्षैत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार क्षैत्रफल 1.78 है0 के स्थान पर क्षैत्रफल 2.7280 है0 दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के आदेश फरमाये जाने का निवेदन प्रार्थीगण के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किया गया है।

इस पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का पेश करने पर प्रार्थना पत्र को ... रजिस्टर किया गया। मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 में दर्ज तथ्यों के सम्बन्ध में ... की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 2236/भू.अ./2020 दिनांक 01.10.2020 के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

राजस्व ग्राम देवीपुरा के भूमि खसरा न0 211, 212, 213, 231 कुल किता– 4 कुल रकबा 1.78 है0 की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड आधार वर्ष व संवत 2044 से 2047 की जमाबंदी में भूरा पुत्र सुण्डा दरोगा सा0 मन्ढा के नाम दर्ज थी। उक्त ख0न0 के साबिक ख0न0 549 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा था। मुताबिक पटवारी जांच रिपोर्ट द्वितीय सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी के खाते में 0.94 है0 भूमि कम हो गई व यह भूमि (0.94 है0) वक्त सेटलमेन्ट राजस्व ग्राम दोलतपुरा (हाथीदेह) के ख0न0 1064/2148 रकबा 1.76 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में शामिल हो गई। ख0न0 1064/2148 का पुराना ख0 न0 1127 है। जिसका रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ही था। वक्त सेटलमेन्ट इसका रकबा बढ़ा दिया गया। जो 0.63 है0 ज्यादा है। नया व पुराना नक्शा का मिलान करने पर भी यही स्पष्ट है कि पुराने ख0 न0 549 ग्राम देवीपुरा की भूमि 0.63 है0 ग्राम दोलतपुरा के ख0न0 1064/2148 में शामिल हो गई। राजस्व ग्राम दोलतपुरा नवसृजित ग्राम है, जो मूल गांव हाथीदेह से संवत 2065–2068 की अवधी में बना होना अंकित किया है। प्रकरण में पुनः पटवारी हल्का हाथीदेह को प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान पुराने व नये का लठ्ठा नक्शा व नक्शा ट्रेस अनुसार पुनः रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में पटवारी हल्का हाथीदेह से दिनांक 21.01.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें पटवारी हल्का हाथीदेह ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम हाथीदेह के नये खसरा नम्बर 1064/2148 रकबा 1.76 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता व पुराने खसरा नम्बर 1127 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड होना अंकित किया है।

प्रकरण में भूमिधारी [illegible] श्रीमाधोपुर व पटवारी हल्का हाथीदेह से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के [illegible] की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2028–2031, 2032–2035, 2042, 2044–2047, 2065–2068, 2074–2077 की जमाबन्दियों, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल, राजस्व नक्शा ट्रेस पुराना व नया नक्शा, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी, रिपोर्ट पटवारी हल्का हाथीदेह व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि नवीन खसरा नम्बर भूमि खसरा न0 311, 312, 313, 231 कुल किता–4 कुल रकबा 1.78 है0 की खातेदारी मूताबिक राजस्व रिकार्ड आधार वर्ष व संवत 2044 से 2047 की जमाबंदी में भूरा पुत्र सुण्डा दरोगा सा0 मण्ढा के नाम दर्ज थी। उक्त ख0न0 के साबिक ख0न0 549 रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा था। मुताबिक तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट द्वितीय सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी के खाते में 0.94 है0 भूमि कम हो गई व यह भूमि (0.94 है0) वक्त सेटलमेन्ट राजस्व ग्राम दोलतपुरा(हाथीदेह) के ख0न0 1064/2148 रकबा 1.76 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता में शामिल हो गई। ख0न0 1064/2148 का पुराना ख0न0 1127 है। जिसका रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ही था। वक्त सेटलमेन्ट इसका रकबा बढ़ा दिया गया। जो 0.63 है0 ज्यादा है। नया व पुराना नक्शा का [illegible] करने पर भी यही स्पष्ट है कि पुराने ख0 न0 549 ग्राम देवीपुरा की भूमि 0.63 है0 ग्राम [illegible]पुरा के ख0न0 1064/2148 में शामिल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

हो गई। राजस्व ग्राम दौलतपुरा नवसृजित ग्राम है, जो मूल गांव हाथीदेह से संवत 2065–2068 की अवधी में बना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राजस्व ग्राम हाथीदेह के नये ख0न0 1064/2148 रकबा 1.76 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता व पुराने ख0न0 1127 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज रिकार्ड है।

अतः ऐसी स्थिति में रिपोर्ट पटवारी हल्का हाथीदेह व तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम दौलतपुरा (हाथीदेह) के नये खसरा नम्बर 1064/2148 रकबा 1.76 हैक्टर को उसके साबिक खसरा नम्बर 1127 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा के अनुसार 0.63 हैक्टर रकबा कम किया जाकर 1.13 हैक्टर संशोधित किया जावे तथा उक्त रकबा 0.63 हैक्टर तन् ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का हाथीदेह तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 211, 212, 213, 231 का क्षैत्रफल 1.78 हैक्टर पुराने खसरा नम्बर 549 के क्षैत्रफल 10 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार में शामिल कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दी जाती

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested

06/02/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 06/02/23

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 06/02/23

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.09 16:10:02 IST
Reason: SelfAttested